

कार्यालय
पत्रांक: ५६३८ /न्याय सहायक /कोरोना वायरस /2020
माझे जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर

महोदय,
कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अपेक्षा की गया है।
उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा० मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-३, लखनऊ के पत्र संख्या-१३८२/२०२०/सीएक्स-३ दिनांक ३१.०५.२०२० व पत्रांक-१८२१/२०२०-सीएक्स-३ दिनांक २४ जुलाई, २०२० के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्रः-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 100 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।

(2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 200 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का निर्धारण किया जायेगा।

(3) आवासीय बहुमंजिला सोसाइटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीते अपनाई जाएँगी-

 - ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंकरेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

(4) वाणिज्यिक / औद्योगिक / कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में

 - ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए

 - यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा।

ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रः-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी ।
 (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी कन्टेनमेंट जोन होगा।
 इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।
 प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 11.09.2020
 में अवगत कराया गया है कि 'विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है।
 विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्ट्रेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्षण फैलने का खतरा बना रहता है।"

क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०शीतल गंज नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मोहन नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० नजीमपुरा भूड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० आर०के०पुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ०फेडस कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शिक्षिका विहार कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० १००के०पुरम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर में १२५ हॉटस्पाट-डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, एन०१०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, काकर की बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में १२५ हॉटस्पाट-डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र डिबाई, एन०१०पी०पी० टाउनशिप, नरौरा तहसील डिबाई, काकर की बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में १२५ हॉटस्पाट-डाक बंगला रोड, नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम मिर्जापुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, मौ० रुई का पेच, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, मौ०पुराना छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्याना, जीवन गीत कालोनी निकट रेनेस स्कूल वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम बोढ़ा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम नगला कटक, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम घोसीपुरा, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम वित्तौन वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०चैनपुरा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, दुर्गा मन्दिर किला रोड, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम मऊ वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०गायत्री नगर नगरीय क्षेत्र जहौंगीराबाद, ग्राम महेशपुर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम परवाना वि०ख० जहौंगीराबाद तहसील स्याना, मौ० बड़ी होली नियर देवी मन्दिर नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम नगला लुफतीपुर वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम पहाड़पुर हवेली, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम बुढ़ासी वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम स्यारली वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, मौ० सलमा हकान, नियर बिजलीघर न०-२ नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम भगवानपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम असावरी, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम जवासा वि०ख० जहौंगीराबाद तहसील स्याना, मौ०मदार गेट नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम खुशरूपुर वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम कियावली वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम करोठी, वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम पाली आनन्दगढ़ी, वि०ख० ऊँचागांव तहसील स्याना, ग्राम विगंगावली, वि०ख० व तहसील खुर्जा, रस्तोगी बुक डिपो वाली गली, गॉधी रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ०छपियाना, नगरीय क्षेत्र जहौंगीराबाद, मौ० रुई का पेच कालोनी, नगरीय क्षेत्र जहौंगीराबाद, ग्राम भौपुर वि०ख० जहौंगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ०नवलपुरा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम औरंगाबाद ताहरपुर वि०ख० ऊँचागांव तहसील स्याना, ग्राम बरकातपुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम भैसाखुर वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, खुशहालगढ़ रोड नेहरूगंज, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, ग्राम रुपवास वि०ख० व तहसील अनूपशहर, आनन्द वाटिका कालोनी नियर बिजली घर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम धमरावली वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कुदैना वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, सुरजावली वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०पट्टी हरनाम सिंह, नगरीय क्षेत्र स्याना, कोट वार्ड कस्वा खानपुर तहसील स्याना, मौ० नमक मंडी नगरीय क्षेत्र डिबाई, ग्राम खालौर वि०ख० जहौंगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बैर वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, राहत गंज बरखेडा हसनगढ़ी विकास खण्ड पहासू तहसील शिकारपुर, मौ०मुफतीबाडा नगरीय क्षेत्र शिकारपुर, ग्राम भीरपुरा वि०ख० बुलन्दशहर, ग्राम कौलसैना वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सिकन्द्रपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम आकापुर टियाना वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ०चौक द्वितीय कस्वा बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ०बोबासाई कस्वा व तहसील स्याना, मौ०हुसैन खेल कस्वा बुगरासी तहसील स्याना, माजरा रवानी कटीरी ग्राम भगवानपुर वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम जारजपुर मामलकपुर वि०ख० व तहसील अनूपशहर, तेजसिंह कालोनी औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम खुटेना वि०ख० अरनिया तहसील खुर्जा, ग्राम मधुपुरा वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम शेखपुर मढवा, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम एत्मादसराय वि०ख० गुलावठी तहसील सदर, ग्राम अहमदवास वि०ख०पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम सेहतपुर बैरी वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम हीरा कालोनी नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम चरौरा मुस्तफाबाद वि०ख० लखावटी तहसील अनूपशहर, ग्राम खंगावली वि०ख० अगौता तहसील बुलन्दशहर, मौ०अजीजाबाद नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, ग्राम बसेन्दुआ, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० रोगनग्रान, नगरीय क्षेत्र जहौंगीराबाद, ग्राम सिरौरा, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ० पट्टी हुलासराय, नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम बनभौरा, वि०ख० ऊँचागांव, तहसील स्याना, ग्राम बैलोन, वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम धमैड़ा नारा, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बसी बांगर, वि०ख० ऊँचा गांव, तहसील स्याना, बैंक वाला मौहल्ला, ऊँचा गांव, तहसील स्याना, मौ० उमेशपुरी, नगरीय क्षेत्र नरौरा, ग्राम सुल्तानपुर बिलोनी, वि०ख० दानपुर, तहसील डिबाई, मौ० रामनगर, नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अकबरपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, मौ० गुलावठी, नगरीय क्षेत्र औरंगाबाद, ग्राम असावर, वि०ख० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम खुशहालपुर, वि०ख० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम परतापुर, वि०ख० अगौता, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम शाहजहांपुर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम बासुरी वि०ख० जहौंगीराबाद तहसील स्याना, ग्राम कॉचरोट स्याना वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम बीहटा वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम रत्नपुर वि०ख० व तहसील डिबाई, ग्राम मांगलौर वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर, ग्राम इमलिया नयागांव, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम ऐंचना वि०ख० गुलावठी तहसील बुलन्दशहर, मौ०परसादी नगर, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, चमन विहार कालोनी नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम छतुरिया, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम हात्माबाद, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम आगौता, वि०ख० अगौता व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नया छत्ता, नगरीय क्षेत्र स्याना, मौ० अहीरपाड़ा, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ब्राइट पब्लिक स्कूल के सामने, सुभाष रोड नगरीय क्षेत्र खुर्जा, मौ० मदार दरवाजा नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम सुल्तानपुर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम सलैमपुर, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मलकपुर, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम धनौरा वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम सुखलालपुर वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम चिरौरी वि०ख० व तहसील डिबाई, मौ०राजेश्वर एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र अनूपशहर, मौ०जाटवान नगरीय क्षेत्र बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम खरकाली वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, ग्राम तुर्कीपुरा वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम वलीपुरा वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम भाइपुरा वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम मुल्लानी वि०ख० जहौंगीराबाद तहसील स्याना बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 11.09.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-2762 है, 1797 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 49 कोरोना संक्रित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैलें, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचें, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय
पंजाब पुलिस आई. यू. / री-34/2020

स्थानीय अभियान समिति
बुलन्दशहर
दिनांक-सिताम्बर 11, 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

मैंने अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों मध्यस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यथापि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कठिन दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

आतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर गोपनीय प्रक्रिया न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्रवाई निम्न जाना समीचीन होगा।


प्रशासनीय अभियान समिति
बुलन्दशहर